

न्यायालय:- द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड
(समक्ष: पी०सी०आर्य)

दांडिक अपील क्रमांक: 273/2015

संस्थित दिनांक-21/08/2015

फाइलिंग नंबर-230303005832015

1. रूपसिंह पुत्र लालसिंह तोमर आयु 54 वर्ष
2. मथुरासिंह पुत्र भोगीरामसिंह आयु 29 वर्ष
3. पानसिंह पुत्र भोगीराम सिंह आयु 32 वर्ष
4. बल्लू उर्फ धर्मेन्द्र पुत्र लाखन सिंह तोमर आयु 34 वर्ष
निवासीगण ग्राम पडराई थाना एण्डोरी
जिला भिण्ड म०प्र०अपीलार्थीगण/आरोपीगण

वि रू द्ध

1. मध्य प्रदेश राज्य द्वारा—
आरक्षी केन्द्र एण्डोरी,
जिला-भिण्ड (म०प्र०)

.....प्रत्यर्थी/अभियोगी

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक।
अपीलार्थीगण/आरोपीगण द्वारा श्री अरविन्द्र वैशंदर अधिवक्ता।

न्यायालय-सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी, जे.एम.एफ.सी, गोहद, द्वारा दांडिक प्रकरण
क्रमांक-628/2008 ई०फौ० में निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक 28/07/2015 से
उत्पन्न दांडिक अपील ।

—::— निर्णय —::—

(आज दिनांक 17 नवंबर 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अपीलार्थीगण/आरोपीगण की ओर से उक्त दांडिक अपील धारा-374 द०प्र०सं० 1973 के अंतर्गत न्यायालय जे०एम०एफ०सी० गोहद सुश्री प्रतिष्ठा अवस्थी द्वारा दांडिक प्रकरण क्रमांक 628/2008 में घोषित निर्णय व दण्डाज्ञा दिनांक-28/07/15 से विक्षुप्त होकर प्रस्तुत की है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपीगण/अपीलार्थीगण को धारा-504 भा०द०वि० के अपराध से दोषमुक्त करते हुए आरोपी मथुरासिंह को धारा- 325 एवं धारा 323 (दो शीर्ष) भा०द०वि० में तथा शेष आरोपीगण को धारा-325/34 तथा धारा-323 (दो शीर्ष) भा०द०वि० में घोर उपहति के लिए एक- एक वर्ष के सश्रम करावास एवं एक-एक हजार रुपये अर्थदण्ड तथा साधारण उपहति के लिए तीन-तीन माह के सश्रम

कारावास तथा पांच-पांच सौ रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था।

2. प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि आरोपीगण/अपीलार्थीगण एवं प्रकरण के आहतगण मुकेश और शिशुपाल के मध्य जमीन के विवाद को लेकर पुरानी रंजिश है, जिसको लेकर दीवानी और फौजदारी मामले भी संचालित हैं, प्रकरण में यह भी निर्विवादित है, कि घटना दिनांक को भी दोनों पक्षों के मध्य रंजिश विद्यमान थी।
3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बतायी गयी है कि घटना दिनांक-01/11/07 के एक के एक दिन पहले आरोपीगण ने फरियादी मुकेश के भाई शिशुपाल की मारपीट की थी, घटना दिनांक 01/11/2007 को सुबह साढ़े 9 बजे वह अपने ट्यूबवैल से शिशुपाल के साथ हार जा रहा था, तभी विलोनी के रास्ते में चारों आरोपीगण मिले थे, जो उसे देखकर गाली गलोच करने लगे थे, जब उसने आरोपीगण को गाली गलोच करने से मना किया था तो रूप सिंह ने उसकी पिडली में धारिया मारा था एवं पानसिंह तथा मथुरा ने लाठियों से उसकी मारपीट की थी, जिससे उसके पैर के घुटने में एवं दाहिने हाथ के कंधे में चोट आई थी, मथुरा ने शिशुपाल की भी लाठियों से मारपीट की थी, जिससे शिशुपाल के बाए हाथ की कोहनी एवं बाये पैर की पिडली में चोट आई थी, शिशुपाल की चारों आरोपीगण द्वारा मारपीट की गई थी, मौके पर हरीसिंह व उसके भाई ने बीच बचाव किया था, फरियादी की रिपोर्ट पर थाना एण्डौरी में अदम चैक क्रं0-101/07 लेखबद्ध की गई थी, एवं फरियादी एवं आहत को चिकित्सकीय परीक्षण के लिए भेजा गया था, चिकित्सकीय रिपोर्ट में फरियादी मुकेश को गंभीर चोट होने के कारण आरोपीगण/अपीलार्थीगण के विरुद्ध थाना एण्डौरी में अप0क्र0-01/08 पर अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया था, साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे, एवं आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया था, तथा विवेचना पूर्ण होने पर अभियोगपत्र सक्षम जे0एम0एफ0सी0 न्यायालय में पेश किया गया।
4. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपीगण/अपीलार्थीगण को को धारा-504, 325/34 तथा 323 (दो शीर्ष) भा.द.वि. का आरोप विरचित कर पढकर सुनाये, व समझाये जाने पर उन्होंने आरोपों से इंकार किया, उसका विचारण किया गया, विचारणोपरांत अपरोपीगण/अपीलार्थीगण को धारा-504 से दोषमुक्त करते हुए आरोपी/अपीलार्थी मथुरा को धारा-325 एवं 323 (दो शीर्ष) भा0द0वि0 में तथा शेष आरोपीगण/अपीलार्थीगण को धारा-325/34 एवं 323 (दो शीर्ष) भा0द0वि0 में घोर उपहति के लिए एक-एक वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रुपये अर्थदण्ड तथा साधारण उपहति के लिए तीन-तीन माह के सश्रम कारावास तथा

पांच-पांच सौ रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया था। जिससे व्यथित होकर यह दाण्डिक अपील प्रस्तुत की गयी है।

5. आरोपीगण/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत की गई दाण्डिक अपील में लिए गए आधारों में मूलतः यह उल्लेखित किया है, कि अभियोजन कथानक और न्यायालयीन साक्षियों के कथनों में गंभीर और तात्त्विक स्वरूप के विरोधाभाष है, तथा अ0सा0-01 लगायत अ0सा0-04 आपस में हितबद्ध साक्षी होकर निकट रिश्ते के साक्षी है और उनके कथनों में भी विरोधाभाष है तथा रंजिशन झूठा मामला बनाया गया है, वास्तविकता में आहतगण मुकेश एवं शिशुपाल को मोटरसाइकिल से स्लिप होकर गिरने से चोट लगी और रंजिशन का फायदा उठाते हुए झूठा मामला पंजीबद्ध करा दिया है, चोटों का मेडीकल साक्ष्य से भी समर्थन नहीं है, कथानक में विलौनी वाले रास्ते की घटना बताई गई है, जबकि कथनों में उसे बदलते हुए एण्डौरी वाले रास्ते की घटना फरियादी ने इसलिए बता दी है, क्योंकि एण्डौरी वाले रास्ते पर फरियादी का बोर पडता है, विलौनी वाले रास्ते पर नहीं पडता है और बताई गई घटना के समय फरियादी और आहतगण अपने खेत-हार से आ रहे थे या जा रहे थे, इस बारे में भी विरोधाभाषी साक्ष्य दी है, जो चोटें बताई गई हैं, उनमें धारदार हथियारों की कोई चोट नहीं है, जबकि सख्त धारदार हथियार धारिया से मारना बताया गया है, फरियादी मुकेश को चिकित्सक द्वारा जो चोटें पाई गई, वह शरीर के दाहिने हिस्से पर पाई गई, जो मोटरसाइकिल से दुर्घटना होने पर आना संभव है, चिकित्सक ने भी फरियादी की साक्ष्य का समर्थन नहीं किया है। जो विरोधाभाष और विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं, उनका स्पष्टीकरण नहीं आया है, क्योंकि अभियोजन की ओर से विवेचक की अभिसाक्ष्य नहीं कराई गई है, कथानक में आई साक्ष्य से एफ0आई0आर0 विलंबित होकर संदिग्ध है, चोटों की संख्या के बारे में भी संदेह उत्पन्न हुआ है और चोटों की अवधि से भी संदेह उत्पन्न होता है, आहत शिशुपाल मेडीकल होने से इन्कार करता है, देशराज का कोई मेडीकल परीक्षण नहीं हुआ, जो स्वयं को आहत बताता है, सभी साक्षी रंजिशी हैं और कोई भी विश्वसनीय नहीं है, तथा स्वतंत्र साक्षी से घटना को समर्थन नहीं है, नाटकीय रूप से घटना बताई गई है जो स्वभाविक रूप से संभव नहीं है, तथा आरोपी/अपीलार्थी धर्मेन्द्र के द्वारा किसी भी साक्षी ने घटना में कोई भी कृत्य नहीं बताया है, एफ0आई0आर0 एण्टीडेटेड है और एण्टीटाइम है, उपरोक्त बिन्दुओं को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने तुच्छ प्रकृति का एवं समय के साथ संभाव्य मानते हुए अपीलार्थीगण/आरोपीगण को दोषसिद्ध ठहराने में गंभीर विधिक त्रुटि की है, इसलिए दाण्डिक अपील स्वीकार की जाकर आरोपीगण/अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध अपराध से अपील स्वीकार कर दण्डाज्ञा अपास्त करते हुए, दोषमुक्त किए जाने की प्रार्थना की गई है।

6. अब प्रकरण में इस न्यायालय के समक्ष अपील के निराकरण हेतु मुख्य रूप से निम्न बिन्दु विचारणीय है :-

- 1— “क्या, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/आरोपीगण के विरुद्ध आरोपित अपराध प्रमाणित मानकर उन्हें दोषसिद्ध कर दंडित करने में विधि या तथ्य की भूल की गई है ?”
- 2— क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई दण्डाज्ञा अत्यधिककठोर है?
- ::— **निष्कर्ष के आधार** —::—
7. उपरोक्त दोनों विचारणीय बिन्दुओं का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिए एवं सुविधा की दृष्टि से एक साथ किया जा रहा है।
8. आरोपीगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने अंतिम तर्कों में अपील ज्ञापन में उठाए बिन्दुओं और लिए गए आधारों के अनुरूप तर्कों में सर्वप्रथम तो रंजिश के बिन्दु को उठाते हुए यह तर्क किया है, कि पक्षकारों के मध्य घटना के काफी समय पूर्व से रंजिश चली आ रही है और उनके बीच अनेक दीवानी फौजदारी मुकदमे चलते रहे हैं, उसकी रंजिश के चलते फरियादी मुकेश द्वारा झूठी रिपोर्ट लिखाई गई थी, यह तर्क भी किया है, कि आहतगण एवं घटना के बताए गए चक्षुदर्शी साक्षी सभी एक ही कुटुम्ब के होकर हितबद्ध हैं, कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है और उनके कथनों में गंभीर विरोधाभास है, जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, इस आधार पर घटना को संदिग्ध माना जाए, यह तर्क भी किया है, कि घटनास्थल के बारे में भी साक्ष्य में विरोधाभास है, कथानक साक्षियों के अभिसाक्ष्य के प्रतिकूल है, कथानक में विलौनी वाले रास्ते में आरोपीगण/अपीलार्थीगण का मिलना बताया गया है, साक्षी और आहत घटना स्थल अलग अलग बताते हैं, नक्शामौका और अदमचैक रिपोर्ट में घटनास्थल भिन्न आया है, रास्ते की घटना बताई गई है, रास्ता चालू बताया गया है, उसके बावजूद कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, आरोपी/अपीलार्थी बल्लू उर्फ धर्मेन्द्र का कोई ओवरएक्ट ही नहीं बताया गया है, आहतगण और साक्षियों के मौके पर मिलने के बारे में भी संदेह है, क्योंकि आहतगण खेत से घर आने की बात बताते हैं, जबकि चक्षुदर्शी साक्षी घर से खेत की तरफ जाने की बात बताते हैं।
9. अपीलार्थीगण/आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क भी किया गया है कि चिकित्सकीय साक्ष्य से भी घटना का समर्थन नहीं है, आहतों को कोई धारदार हथियार से चोट नहीं आई है, जबकि धारिया सख्त धारदार पैना हथियार होता है, उसे मोथरी तरफ से मारना भी नहीं बताया गया है, इसलिए धार तरफ से ही उपयोग किए जाने की उपधारणा निर्मित होगी, जिसे चिकित्सकीय साक्ष्य का कोई समर्थन नहीं है, चोटों की जो समयावधि चिकित्सक द्वारा बताई गई है और दो दिन से अधिक पुरानी चोटें होने की भी संभावना व्यक्त की गई है, उससे भी घटना संदिग्ध है, रिपोर्ट

एण्टीडेटेड और एण्टीटाइम भी है, क्योंकि साक्षी घटना के तुरंत बाद सीधे सुबह 09:30 बजे ही थाने पहुंचना कहते हैं, जबकि रिपोर्ट दोपहर 01:45 बजे लिखाई गई है, और घटना सुबह 09:30 बजे की बताई गई है, मेडीकल परीक्षण के लिए आहतगण रिपोर्ट के तुरंत बाद जाना कहते हैं, जबकि मेडीकल रिपोर्ट अगले दिन की है, चोटों की संख्या में भी अंतर है और प्रत्येक बिन्दु पर तात्विक स्वरूप के विरोधाभास साक्षियों के कथनों में आए हैं, जिनका विवेचक के कथन के अभाव में कोई स्पष्टीकरण अभिलेख पर नहीं है, जिससे झूठी कहानी बनाकर आरोपीगण/अपीलार्थीगण को अभियोजित किया जाना संभव है, इसलिए साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, इसलिए दांडिक अपील स्वीकार की जाकर आरोपीगण/अपीलार्थीगण को दोषमुक्त किया जाए।

10. विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा आरोपीगण/अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों के खण्डन में इस आशय के तर्क किए हैं, कि साक्षियों के कथनों में स्वभाविक भिन्नता है, जिससे कोई अविश्वास उत्पन्न नहीं होता है और विवेचक का कथन न होने से घटना संदिग्ध नहीं होगी, क्योंकि साक्षियों की कोई विशिष्ट संख्या आवश्यक नहीं होती है, आहतगण और चक्षुदर्शी साक्षियों के कथन पर्याप्त हैं, जो ग्रामीण परिवेश के हैं, इसलिए अंतर स्वभाविक है और रंजिश के बिन्दु का कोई लाभ आरोपीगण/अपीलार्थीगण को प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि रंजिश दोधारी तलवार है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय में बचाव पक्ष के आधारों पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष दिया है, इसलिए दांडिक अपील में उठाए गए आधार विधि सम्मत नहीं है और अपील बेबुनियाद है, जिसे निरस्त किया जाकर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय की दोषसिद्धि व दण्डाज्ञा को स्थिर रखा जावे।
11. दांडिक अपील के निराकरण करते समय अपील न्यायालय को भी साक्ष्य का मूल्यांकन करना आवश्यक है। जैसा कि न्याय दृष्टांत स्टेट ऑफ एम0पी0 विरुद्ध बल्लोर उर्फ रामगोपाल 2006 फर्स्ट विधि भास्कर (एस0सी0) पेज-01 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है। इसलिए विचाराधीन अपील में मूल प्रकरण में आयी साक्ष्य का अपील स्तर पर भी मूल्यांकन करना आवश्यक है।
12. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर अभियोजन की ओर से साक्ष्य पेश की गई है, बचाव पक्ष की ओर से कोई भी खण्डन साक्ष्य नहीं है, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य निर्णय मुताबिक अभियोजन की साक्ष्य को विश्वसनीय मानते हुए, आरोपी/अपीलार्थी मथुरा को धारा-325 एवं 323 (दो शीर्ष) भा0द0वि0 एवं शेष आरोपीगण/अपीलार्थीगण को धारा-325/34 एवं 323 (दो शीर्ष) भा0द0वि0 के अपराध के लिए दोषी मानते हुए, कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया है, जिसके संबंध में अपीलार्थीगण/आरोपीगण की ओर से उठाए गए बिन्दुओं और लिए

गए आधारों पर विचार करते हुए, यह मूल्यांकित करना होगा, कि क्या विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय में जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, वे साक्ष्य व विधि पर आधारित होकर पुष्टि योग्य हैं या अभियोजन की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्य से कथानक में बताए गए, घटनाक्रम और आक्षेप के बारे में कोई संदेह इस प्रकार का उत्पन्न होता है, जो अभियोजन के मामले को संदिग्ध बनाता हो।

13. विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है, कि दाण्डिक मामलों में प्रमाणभार हमेशा ही अभियोजन पर होता है, कि वह न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मामले को अपनी साक्ष्य से युक्तियुक्त संदेह के परे प्रमाणित करे, ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष की ओर से कोई खण्डन साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाने के आधार पर अभियोजन के मामले को विधिक रूप से बल प्राप्त नहीं होगा और न ही प्रतिरक्षा साक्ष्य के अभाव में अभियोजन का मामला इस आधार पर प्रमाणित होगा, बल्कि अभियोजन की साक्ष्य से ही मामले को सिद्ध करना आवश्यक है, ऐसे में बचाव पक्ष की ओर से कोई प्रतिरक्षा न दिए जाने का कोई प्रतिकूल प्रभाव बचाव पक्ष पर होना विधिक रूप से नहीं माना जा सकता है।

14. प्रकरण में फरियादी और आरोपी पक्ष के मध्य बताई गई पूर्व से निरंतर रंजिश चली आने का बिन्दु स्वीकृत है, कि उनके मध्य रंजिश चली आ रही है और दीवानी, फौजदारी के कई प्रकरण चले हैं, शिशुपाल अ0सा0-02 ने सरपंची के चुनाव लड़ने को भी रंजिश से जोड़ा है, रंजिश का बिन्दु एक ऐसी दोधारी तलवार की तरह होता है, जो दोनों तरफ से वार करता है, अर्थात् जहां एक ओर झूठा फंसाए जाने की संभावना रहती है, वहीं दूसरी ओर यह भी संभव है, कि रंजिश के कारण ही घटना कारिती की गई हो, जैसा कि न्याय दृष्टांत **रूली एवं अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा (2002) एस0सी0सी0 (किमिनल) पेज 1837** में प्रतिपादित किया गया है, इसलिए प्रकरण में यह देखना होगा कि रंजिश का बिन्दु किस पक्ष के आधार को बल देता है, रंजिश के स्वीकृत बिन्दु को देखते हुए, अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्य का सावधानी पूर्वक मूल्यांकन करने की आवश्यकता भी हो जाती है।

15. प्रकरण में अभियोजन की ओर से कुल पांच साक्षी परीक्षित कराए गए हैं, जिसमें डॉक्टर दिनेश खत्री अ0सा0-05 के अलावा शेष चारों साक्षियों में मुकेश तोमर अ0सा0-01 और शिशुपाल अ0सा0-02 घटना के आहत बताए गए हैं, हरीसिंह अ0सा0-03 और देशराज अ0सा0-04 घटना के चक्षुदर्शी साक्षी बताए गए हैं, चारों साक्षियों की अभिसाक्ष्य में इस आशय की स्पष्ट स्वीकारोक्ति है, कि वे निकट संबंधी हैं, जिसे उन्होंने स्वीकार भी किया है, आहत मुकेश अ0सा0-01 और देशराज अ0सा0-04 सगे भाई हैं, हरिसिंह आहत मुकेश की बुआ का लडका है और शिशुपाल चचेरा भाई है, ऐसी स्थिति में उक्त चारों साक्षी निकट संबंधी होने से तथा घटना का

कोई भी स्वतंत्र साक्षी न होने से उक्त चारों साक्षियों के अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन करते समय विशेष सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता भी हो जाती है, क्योंकि लंबे अर्से से रंजिश दोनों पक्ष के मध्य विद्यमान चली आ रही है, बचाव पक्ष द्वारा रंजिश के आधार पर मोटरसाइकिल से गिरने के कारण उत्पन्न चोटों का अनुचित लाभ लेकर पुलिस से मिलकर झूठी कहानी बनाकर रिपोर्ट करना बताया गया है, हालांकि मोटरसाइकिल से गिरते हुए किसी के द्वारा देखने संबंधी कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है, इसलिए परिस्थितियों के आधार पर और चिकित्सकीय साक्ष्य के आधार पर इस बिन्दु को देखना होगा।

16. उक्त चारों अभियोजन साक्षियों के अभिसाक्ष्य में जो विरोधाभाष और विसंगतियां उत्पन्न हुई हैं, उनके स्पष्टीकरण हेतु प्र0पी0-01 के अदमचैक के लेखक और घटना के विवेचक में से किसी को अभियोजन द्वारा परीक्षित नहीं कराया जा सका है, एफ0आई0आर को साक्ष्य में प्रदर्शित भी नहीं कराया गया है जबकि अभियोजन को आरोप पश्चात साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर प्राप्त हुआ था, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख से यह स्पष्ट है, कि आरोप दिनांक 19/05/10 को विरचित किए गए, तत्पश्चात से अभियोजन की साक्ष्य दिनांक 23/06/15 को अभियोजन की निवेदन पर समाप्त विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा की गई थी, अर्थात् पर्याप्त समय अभियोजन को साक्ष्य हेतु प्राप्त हुआ है, ऐसे में साक्षियों के कथनों में उत्पन्न विरोधाभाष और विसंगतियों का स्पष्टीकरण न आने से परिस्थितियों के आधार पर ही विसंगतियों और विरोधाभाषों के बावत निष्कर्ष प्राप्त करना होगा, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने उत्पन्न विरोधाभाषों और विसंगतियों को महत्व नहीं दिया है और उन्हें स्वभाविक स्वरूप का मानते हुए तुच्छ प्रकृति का निष्कर्षित कर अभियोजन साक्ष्य को विश्वसनीय ठहराते हुए दोषसिद्धि निष्कर्षित की है, जिसके विधिक दृष्टि से उचित होने बावत भी निष्कर्ष निकालने की आवश्यकता अपील स्तर पर हो जाती है। न्याय दृष्टांत **लक्कन लाल विरुद्ध स्टेट 1992 किमिनल लॉ रिपोर्टर पेज 408 (एम0पी0)** में यह प्रतिपादित किया गया है, कि प्रकरण में एफ0आई0आर0 प्रस्तुत न करने से अभियुक्त द्वारा अपराध किए जाने बावत् संदेह उत्पन्न होता है, जिसका लाभ आरोपी को होगा, विचाराधीन मामले में भी एफ0आई0आर0 पेश नहीं की गई है।

17. अभियोजन के मूल कथानक मुताबिक घटना प्र0पी0-01 अदमचैक रिपोर्ट मुताबिक जिसे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निष्कर्ष निकालने का आधार बनाते हुए, मूल्यांकित किया है, उसमें सर्वप्रथम घटना स्थल की स्थिति को देखा जाए तो अदमचैक रिपोर्ट प्र0पी0-01 जिस पर से पुलिस द्वारा कार्यवाही अग्रसर की गई, उसमें घटनास्थल विलौनी वाला रास्ता बताया गया है, जैसा कि बी से बी भाग में चारों आरोपीगण का फरियादी द्वारा विलौनी वाले रास्ते में मिलना बताया गया है, जबकि प्र0पी0-02 का नजरी नक्शा जो पुलिस द्वारा आहत व रिपोर्टकर्ता मुकेश की निशांदेही पर ही घटना के दो

महीने 17 दिन बाद तैयार किया गया है, जिसमें घटनास्थल को क्रमांक 01 से सरकारी चरनोई खेत जो कि इमरत सिंह का बताया गया है, उससे लगी हुआ सड़क का वह भाग बताया गया है, जो ग्राम पडराई से एण्डोरी के लिए गया कच्चा रास्ता है, अर्थात् विलौनी वाले रास्ते की घटना जो प्र0पी0-01 में लिखाई गई थी, उस पर पुलिस ने विश्वास नहीं किया क्योंकि नक्शा मौका में भी क्रमांक 03 के रूप में रामवीर भदौरिया का जो खेत दर्शाया गया है, उससे आगे पडराई तरफ पश्चिम दिशा की ओर विलौनी वाला रास्ता अंकित किया है और वहां कोई घटना नहीं बताई गई है, ऐसी स्थिति में प्र0पी0-01 व प्र0पी0-02 में ही स्वयं कथानक मुताबिक घटनास्थल के बारे में गंभीर विसंगति है, प्र0पी0-01 की अदमचैक रिपोर्ट लेखक और नक्शा मौका बनाने वाले प्रधान आरक्षक अलग अलग है, उनमें से कोई भी अभियोजन द्वारा उक्त विसंगति को दूर करने के लिए साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है, नक्शा मौका बनाने में लगे समय बावत भी ऐसी स्थिति में स्पष्टीकरण देने हेतु कोई साक्ष्य नहीं है, ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम तो घटनास्थल के बारे में ही संदेह की स्थिति है।

18. घटनास्थल के बारे में परीक्षित साक्षियों की स्थिति को देखा जाए तो, आहत मुकेश अ0सा0-01 जिसकी निशांदेही पर प्र0पी0-02 का नक्शा मौका बना था और उसी ने रिपोर्ट करते समय विलौनी के रास्ते में आरोपीगण/अपीलार्थीगण मिलना प्र0पी0-01 में लिखाया, उसके द्वारा मुख्यपरीक्षण में तो केवल आरोपीगण/अपीलार्थीगण का रास्ते में मिलना बताया है, किस रास्ते में मिले इस बात के बावत प्रतिपरीक्षा में पैरा-05 में स्थिति स्पष्ट कराई गई, जिसमें स्वयं उक्त आहत ने आरोपीगण/अपीलार्थीगण का विलौनी वाले रास्ते पर मिलने से इन्कार करते हुए एण्डोरी वाले रास्ते पर मिलना बताया है, उसने प्र0पी0-01 के बी से बी भाग में विलौनी वाले रास्ते में आरोपीगण/अपीलार्थीगण के मिलने वाली बात को लिखाने से साफ तौर से इन्कार किया है, ऐसे में स्पष्टीकरण हेतु अदमचैक लेखक और नक्शा मौका बनाने वाले विवेचक का साक्ष्य में आना आवश्यक था, जो स्थिति को स्पष्ट करता, अ0सा0-01 ने घटनास्थल से थाने की दूरी तीन किलोमीटर पैरा-06 में कही है, जबकि घटनास्थल से थाने की दूरी दस किलोमीटर है, इससे भी घटनास्थल की स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, जिसके अभाव में घटनास्थल के बारे में स्थिति ही अभिलेख पर स्पष्ट नहीं है और उक्त विरोधाभास को दृष्टि ओझल नहीं किया जा सकता है, जबकि रंजिश का मजबूत आधार विद्यमान है।

19. घटना के संबंध में अन्य साक्षियों की स्थिति देखी जाए तो घटना के बताए गए दूसरे आहत शिशुपाल अ0सा0-02 ने मुख्यपरीक्षण के पैरा-01 में ही आरोपीगण का नाले के पास मिलना बताया है, जिसका प्र0डी0-01 के कथन में कोई उल्लेख नहीं है, जबकि प्र0पी0-02 के नक्शा मौका में कहीं कोई नाला दर्शित ही नहीं है, बल्कि जो घटनास्थल दर्शाया गया है, उससे काफी पहले नरिया

का उल्लेख अवश्य किया है अ0सा0-01 ने ग्राम पडराई से नरिया की दूरी तीन-चार खेत बताई है और पडराई से विलौनी के रास्ते की दूरी डेढ़ खेत बताई है, तथा गांव से ट्यूबवेल की दूरी उसने डेढ़ किलोमीटर बताते हुए ट्यूबवेल तक पहुंचने के दो रास्ते बताते हुए, दोनों रास्तों की दूरी बराबर कही है, जिससे भी घटनास्थल मेल नहीं खाता है, तथा नाले के पास आरोपीगण के मिलने की बात न तो मूल आहत मुकेश अ0सा0-01 बताता है, न ही चक्षुदर्शी साक्षी अ0सा0-03 और अ0सा0-04 बताता है, हरीसिंह अ0सा0-04 जिसे घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है, जो अपने आप का साथ में होना भी कहता है, उसने घटनास्थल के बारे में अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-02 में अपने गांव अर्थात् ग्राम पडराई से घटनास्थल की दूरी एक या दो किलोमीटर बताई है, जबकि देशराज अ0सा0-04 जो मूल आहत मुकेश का सगा भाई है, उसने अपने अभिसाक्ष्य में पैरा-05 में गांव से एक आद खेत की दूरी पर घटना घटित होना कही है और वह घटना एण्डोरी सडक पर बताता है, गांव से तीन चार किलोमीटर की दूरी पर घटना घटित होने से इन्कार करता है, घटनास्थल से या ग्राम पडराई से थाने की दूरी कितनी है, इस बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है और अ0सा0-03 के पैरा-2 मुताबिक घटनास्थल से यदि कोई व्यक्ति आवाज देकर बुलाए या चिल्लाए तो गांव तक आवाज नहीं पहुंचेगी, अर्थात् वह घटनास्थल गांव से अधिक दूरी पर बताता है, जबकि देशराज गांव के अत्यंत नजदीक बताता है, इस प्रकार से सर्वप्रथम तो घटनास्थल के बारे में ही अभियोजन के कथानक में अंतर है, अ0सा0-01 लगायत अ0सा0-04 के अभिसाक्ष्य से भी बिल्कुल भिन्नतापूर्ण स्थान आया है, ऐसी स्थिति में सर्वप्रथम तो घटनास्थल ही संदिग्ध है और घटनास्थल संदिग्ध होने से शेष बिन्दुओं पर भी सतर्कता से विचार करने की आवश्यकता हो जाती है।

20. दूसरा बिन्दु मौके पर आने-जाने संबंधी उत्पन्न हुआ है, प्र0पी0-01 की रिपोर्ट मुताबिक मुकेश और शिशुपाल ट्यूबवेल से अपने घर के लिए घटना के समय जा रहे थे, तब आरोपीगण का मिलना बताया है, इस बारे में मुकेश अ0सा0-01 और शिशुपाल अ0सा0-02 अपने मुख्य परीक्षण में तो घटना के समय सुबह 09:30 बजे का होना और हार से गांव के लिए जाना कहते हैं, किंतु शिशुपाल अ0सा0-02 अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-02 में बोर पर रात में रुकना बताता है, हरीसिंह अ0सा0-03 पैरा-02 में मुकेश और शिशुपाल का रात में ट्यूबवेल पर रुकना उसका और देशराज का गांव में रुकना बताता है और पैरा-01 मुताबिक खेती करने के लिए हार को जाना वह कहता है तथा ट्यूबवेल के आस-पास का रास्ता चालू होना पैरा-03 में कहता है, तथा मुकेश के ट्यूबवेल के अलावा आस-पास और भी ट्यूबवेल बताता है और देशराज का अपने साथ ट्यूबवेल पर पैदल जाना बताता है, शिशुपाल और मुकेश का मोटरसाइकिल से ट्यूबवेल से गांव के लिए आना उसने बताया है, अर्थात् उसके मुताबिक दोनों आहत मोटरसाइकिल से ही गांव के लिए हार से लौट रहे थे और घटनास्थल वाला रास्ता कच्चा बताया गया है, ऐसे में बचाव पक्ष

का यह आधार कि दोनों आहतगण मोटरसाइकिल से गिरे और गिरने से चोट लगी और पुरानी रंजिश पर से झूठी रिपोर्ट करा दी, इसे बल मिलता है, क्योंकि आहत शिशुपाल अ0सा0-02 के पैरा-03 मुताबिक मोटरसाइकिल घटनास्थल पर देशराज और हरीसिंह द्वारा लेकर आना बताया गया है।

21. मोटरसाइकिल किस पर थी इस बारे में मुकेश अ0सा0-01 के अभिसाक्ष्य में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं है, न ही मुकेश के अभिसाक्ष्य में उसके पैदल आने की स्पष्ट बात आई है, देशराज अ0सा0-04 के अभिसाक्ष्य को देखा जाए तो वह हार के लिए जाने की बात तो मुख्यपरीक्षण के पैरा-01 में स्वीकार करता है और पैरा-05 में वह मुकेश और शिशुपाल का हार के लिए जाना बताते हुए उनके साथ में स्वयं का भी जाना कहता है, लेकिन पैदल थे या मोटरसाइकिल से थे इस बारे में वह मौन स्थिति में है, ऐसे में घटनास्थल पर कौन कहां से पहुंचा इस बारे में भी विरोधाभाष है, मोटरसाइकिल आहतगण लिए थे, या चक्षुदर्शी साक्षी लिए थे, इस बारे में भी विरोधाभाषी स्थिति है, जिनका स्पष्टीकरण आना जरूरी था और उनका कोई स्पष्टीकरण भी इस बिन्दु पर नहीं आया है, जो कि साक्षियों की आपसी निकटता एवं हितबद्धता को देखते हुए उक्त विसंगति भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जो घटना के बारे में संदेह उत्पन्न करती है।

22. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अभियोजन की घटना को चिकित्सकीय साक्ष्य से समर्थित होने का निष्कर्ष अभियोजन की उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दिया है, घटना के दोनों आहत मुकेश एवं शिशुपाल का चिकित्सकीय परीक्षण एवं मुकेश के दाए पैर की सबसे छोटी उंगली का एक्सरे परीक्षण डॉ० दिनेश खत्री अ0सा0-05 ने अपने अभिसाक्ष्य में करना बताया है, प्र0पी0-01 अदमचैक रिपोर्ट मुताबिक घटना दिनांक 01/11/07 को सुबह करीब 09:30 बजे की बताई गई है और प्र0पी0-03 एवं प्र0पी0-04 की मेडीकल रिपोर्ट संबंधी मुलाहिजा फॉर्म दिनांक 01/11/07 को ही तैयार करना बताया गया है, किंतु दोनों आहतों का मेडीकल परीक्षण घटना वाले दिन न होकर अगले दिन दिनांक 02/11/07 को प्र0पी0-03 एवं प्र0पी0-04 मुताबिक हुआ, इस बिन्दु के संबंध में अभिलेख पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, घटना दिनांक को ही जब प्र0पी0-01 की रिपोर्ट लिखाने के बाद मेडीकल के लिए भेजा गया था, तो उसी दिन मेडीकल किन परिस्थितियों में और किन कारणों की वजह से नहीं हो पाया इसका स्पष्टीकरण अदमचैक लेखक जिसके द्वारा मुलाहिजा फॉर्म तैयार किया गया था, वही दे सकता था, किंतु वह साक्ष्य में पर्याप्त अवसर के बाद भी उपस्थित नहीं हुआ। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने आलोच्य निर्णय में यह निष्कर्ष तो निकाला है, किंतु इसे प्रक्रियात्मक त्रुटि मानते हुए महत्व नहीं दिया है, जिसका भी सावधानी से मूल्यांकन किए जाने की आवश्यकता प्रकरण में उत्पन्न विसंगतियों एवं रंजिश के बिन्दु को देखते हुए हो जाती है।

23. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने रंजिश का बिन्दु अभियोजन के पक्ष में माना है, जिसकी वजह से विसंगति को तुच्छ श्रेणी का निष्कर्षित किया है, चिकित्सकीय साक्ष्य के परिपेक्ष्य में देखा जाए तो डॉ० दिनेश खत्री अ०सा०-०५ ने दिनांक 02/11/07 को दिन के 12:30 बजे मुकेश का प्र०पी०-०३ मुताबिक और दोपहर 12:45 बजे शिशुपाल का प्र०पी०-०४ मुताबिक चिकित्सकीय परीक्षण किया है, घटना गुरुवार के दिन की बताई गई है और अवकाश का दिन होने की परिस्थिति या साक्ष्य नहीं है, अ०सा०-०५ के अभिसाक्ष्य में या अन्य किसी के अभिसाक्ष्य में ऐसा भी तथ्य नहीं आया है, कि दिनांक 01/11/07 को अस्पताल बंद था, या चिकित्सक उपलब्ध नहीं थे, अ०सा०-०५ मुताबिक आहत को उसके समक्ष 02/11/07 को ही एण्डोरी थाने के आरक्षक लाखनसिंह द्वारा लाया गया था, इससे चिकित्सकीय साक्ष्य मुताबिक यही उपधारित होता है, कि आहतों को चिकित्सकीय परीक्षण हेतु दिनांक 02/11/07 को ही ले जाया गया था, जबकि इसके विपरीत जो प्रत्यक्ष साक्ष्य अभिलेख पर आई है, उसके अनुसार स्वयं घटना का मूल आहत मुकेश अ०सा०-०१ पैरा-०६ मुताबिक रिपोर्ट लिखाने के तुरंत बाद अस्पताल को जाना कहता है, घटना के दूसरे दिन दिनांक 02/11/07 को दिन के 12:30 बजे मेडीकल परीक्षण के लिए जाने से साफ तौर पर वह इन्कार करता है, उक्त साक्षी को भ्रम में नहीं रखा गया है, बल्कि दिए गए सुझावों के माध्यम से उसका सकारात्मक उत्तर चाहा गया था, ऐसे में साक्षियों का ग्रामीण परिवेश का होने और घटना दिनांक और न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक 22/07/13 के मध्य लंबे अंतराल के कारण स्वभाविक विसंगति होना नहीं माना जा सकता है, इसलिए उक्त विसंगति तुच्छ स्वरूप की नहीं है, बल्कि तात्त्विक स्वरूप की है, क्योंकि सामान्य बुद्धि विवेक का व्यक्ति तो यह बताने में सक्षम होता है, कि मेडीकल परीक्षण उसका घटना वाले दिन ही हुआ या बाद में हुआ, ऐसे में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय की कण्डिका 21 का निष्कर्ष विधिसम्मत नहीं माना जा सकता है, क्योंकि घटना के दूसरे आहत शिशुपाल अ०सा०-०२ तो मेडीकल परीक्षण के लिए अस्पताल जाने और मेडीकल होने से इन्कार करता है, वह अपनी छिलन पट्टी कराने की बात अवश्य कहता है, यदि यह मान भी लिया जाए कि छिलन पट्टी कराने का आशय मेडीकल से ही है, तब चिकित्सकीय साक्ष्य की सावधानी से मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो जाती है, क्योंकि चिकित्सक जहां एक ओर विशेषज्ञ के तौर पर साक्ष्य देता है, वहीं दूसरी ओर उसकी स्थिति निष्पक्ष साक्षी की होती है।
24. चोटों की संख्या को देखा जाए तो डॉ० दिनेश खत्री अ०सा०-०५ के द्वारा आहत मुकेश का परीक्षण करने पर कुल पांच चोटें पाई गई थीं, जिनमें से तीन चोटें खरोंच के रूप में और दो गूमडा के रूप में थीं, जिनका आकार प्रकार प्र०पी०-०३ की एम०एल०सी० में अंकित है और शिशुपाल को प्र०पी०-०४ मुताबिक तीन

चोटें पाई गईं जो तीनों चोटें गूमडा के रूप में हैं, प्र०पी०-०१ मुताबिक मुकेश को तीन चोटें ही बताई गई थीं, जिनमें रूपसिंह द्वारा धारदार हथियार धारिया से पैर की पिडली में चोट पहुंचाई जाना, पानसिंह के द्वारा लाठी से पैर की गठान में और मथुरा के द्वारा लाठी से दाएं हाथ के कंधे में चोट पहुंचाया जाना बताया गया, शिशुपाल के बाएं हाथ की कोहनी में और बाएं पैर की पिडली में मथुरा द्वारा लाठी से मारना बताया गया है, हरीसिंह और देशराज को घटना का चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है, शिशुपाल के बाएं पैर की पिडली में छिलन के रूप में चोट बताई गई है, जबकि मेडीकल में शिशुपाल को छिलन के रूप में कोई चोट नहीं पाई गई, इसलिए शिशुपाल अपने अभिसाक्ष्य में जो छिलन पट्टी कराने की बात कहता है, वह घटना से कडी के रूप में नहीं जुड़ती है।

25. धारदार हथियार की भी दोनों आहतों में से किसी को कोई चोट नहीं पाई गई है, जबकि रूपसिंह द्वारा सख्त एवं धारदार हथियार धारिया से वार करना और चोट पहुंचाना बताया गया है, धारदार हथियार के संबंध में जब तक अन्य साक्ष्य न हो अर्थात् भौथरी तरफ से प्रहार न बताया गया हो, तब तक यही उपधाराणा की जाती है, कि धार तरफ से ही उपयोग किया गया है, प्रकरण में किसी भी साक्षी ने या अ०सा०-०१ लगायत अ०सा०-०४ ने अपने अभिसाक्ष्य में धारिया का भौथरी तरफ से उपयोग किए जाने की बात नहीं कही है, ऐसे में घटना में धारिया का उपयोग हुआ हो यह चिकित्सकीय साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है, जो संदेह उत्पन्न करता है।

26. डॉ० दिनेश खत्री अ०सा०-०५ ने दोनों आहत मुकेश और शिशुपाल को प्र०पी०-०३ एवं प्र०पी०-०४ मुताबिक पाई गई चोटों की समयावधि परीक्षण के समय से पिछले २४ से ४८ घंटों के भीतर की होने की राय व्यक्त की है, उनकी राय विशेषज्ञ के तौर पर चोट के रंग के आधार पर बतलाई गई है, प्र०पी०-०३ एवं प्र०पी०-०४ में जो खरोंच और गूमडा के रूप दोनों आहतों को चोट है, उन्हें रेडिश ब्राउन अर्थात् लालिमा लिए हुए भूरे रंग की चोट के रूप में बताया गया है, चिकित्सक की उपरोक्त राय को यथावत स्वीकार किया जाए तो आहत की चोट दिनांक ०१/११/०७ को दोपहर १२:३० बजे लेकर पूर्ववर्ती २४ घंटे अर्थात् ३१ अक्टूबर २००७ के दिन के १२:३० बजे के दरम्यान की कभी की भी संभावित है, प्र०पी०-०१ में दिनांक ०१/११/०७ को लेखीय रिपोर्ट में एक दिन पूर्व भी शिशुपाल की उक्त आरोपीगण/अपीलार्थीगण द्वारा मारपीट करने की घटना का उल्लेख किया है और उसके संबंध में शिशुपाल अ०सा०-०२ ने अपने अभिसाक्ष्य में घटना के एक दिन पहले भी आरोपीगण/अपीलार्थीगण ने उसकी कोई मारपीट की थी, ऐसा नहीं बताया है, तथा वह जो अपनी छिलन की पट्टी करना कहता है, उसके बारे में भी यह स्पष्ट नहीं है, कि कौन सी घटना की चोटों की छिलन की पट्टी कराना कह रहा है, बचाव पक्ष द्वारा मोटरसाइकिल से एक दिन पहले गिरने पर चोटिल होने का सुझाव आहतगण को दिया गया था, हालांकि

उन्होंने उक्त सुझाव को अस्वीकार कर दिया है, फिर भी छिलना पट्टी से दुर्घटना की चोटों का अर्थान्वयन संभव है, क्योंकि यदि मारपीट की चोटों की वह पट्टी कराना कहता, तो फिर ऐसी साक्ष्य देता कि, उसे मारपीट से जो चोट आई, उसकी उसने पट्टी कराई थी, जबकि चिकित्सकीय साक्ष्य में शिशुपाल को मुंदी चोट आई है, छिलन की कोई चोट ही नहीं आई है, जिसकी वह पट्टी कराता, ऐसे में छिलन पट्टी घटना से जुड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है और इस संबंध में विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष परिस्थितियों के अनुकूल नहीं है।

27. मुकेश अ0सा0-01 अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-7 में शिशुपाल की एक दिन पहले की मारपीट के संबंध में यह कहता है, कि उसकी अलग से कोई रिपोर्ट नहीं की थी, इसी में रिपोर्ट की थी, रात थी इसलिए रिपोर्ट नहीं की थी, रात में कहा जाते। इससे यह अर्थ निकलता है, कि शिशुपाल की घटना के एक दिन पूर्व रात में ही कोई मारपीट या चोटिल होने का कोई घटनाक्रम घटा था, लेकिन जो रिपोर्ट की गई, वह सुबह 09:30 बजे की घटना की की गई है, इस विसंगति को अनदेखा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि शिशुपाल को जो चोट बताई गई हैं, वह इसी घटना की बताई गई हैं, न कि एक दिन पूर्व वाली किसी घटना की बताई गई हैं।

28. शिशुपाल अ0सा0-02 मेडीकल के लिए जाने से इन्कार करता है, इसके संबंध में डॉ0 दिनेश खत्री अ0सा0-05 ने यह स्पष्ट किया है, कि थाने से एम0एल0सी0 के पत्र में जो नाम भरा जाता है, वही नाम वे अपने रिपोर्ट में अंकित करते हैं और उसी आधार पर शिशुपाल का नाम अंकित किया गया है, पहचान चिन्ह अंकित करते हैं और उनके पास कोई सबूत नहीं रहता है, तथा आरक्षक लाखनसिंह आहतगण और एम0एल0सी0 प्रपत्र लेकर आया था, चिकित्सक को अभिसाक्ष्य में सुझाव दिए जाने पर यह भी सकारात्मक उत्तर दिया है, कि जिस प्रकार की चोटें आहतगण मुकेश और शिशुपाल को पहुंची वे मोटरसाइकिल से गिरने पर आना संभव है, उक्त चिकित्सक ने आहत मुकेश के दाहिने पैर की सबसे छोटी उंगली का एक्सरे परीक्षण करने पर उसमें अस्थिभंगन आना बताते हुए प्र0पी0-05 की एक्सरे रिपोर्ट तैयार करना बताया है, उसके बारे में भी यह कहा है, कि उक्त प्रकार का फ्रेक्चर भी मोटरसाइकिल से गिरने पर आना संभव है, अर्थात् चिकित्सक दोनों आहतों की चोटें दुर्घटनात्मक स्वरूप की होने से इन्कार नहीं कर रहा है, बचाव पक्ष का भी इसी प्रकार का आधार है। धारिया का उपयोग बताया है, जिसकी कोई चोट नहीं पाई गई है, मेडीकल परीक्षण भी घटना के अगले दिन का होना और आहत मुकेश का उससे इन्कार कर घटना दिनांक को ही मेडीकल कराना, शिशुपाल के द्वारा मेडीकल कराने से इन्कार करने की भी परिस्थितियां हैं, जो कि घटना को संदिग्ध बनाती हैं, ऐसे में चिकित्सकीय साक्ष्य से घटना का स्पष्टतः समर्थन होना नहीं माना जा सकता है, यहां यह भी

उल्लेखनीय है, कि कथानक में मूल आहत मुकेश के भाई देशराज को चक्षुदर्शी साक्षी बताया गया है, जो मौके पर पहुंचा था, उसे आहत नहीं बताया गया है, जबकि देशराज अ0सा0-04 उक्त घटना में स्वयं को भी आहत बताते हुए, अपना मेडीकल होना कहता है, जबकि उसका कोई मेडीकल नहीं है, यह उसकी हितबद्धता को ही प्रकट करता है।

29. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने चोटों की प्रकृति के बारे में आलोच्य निर्णय की कण्डिका 31 में जो निष्कर्ष दिया है, कि दोनों आहतों की चोटें, मुकेश की दाएं पैर की छोटी उंगली को छोड़कर शेष साधारण प्रकृति की बताई गई हैं, मुकेश के दाहिने पैर की सबसे छोटी उंगली में चोट कैसे आई इसके बारे में कथानक में स्पष्ट स्थिति नहीं है, क्योंकि प्र0पी0-01 में मुकेश को जो चोटें बताई गई हैं, उनमें धारिया पिडली में लगना बताया गया है और लाठी की चोटें पैर की गठान में और दाहिने हाथ के कंधे में लगना बताई है, जो मुलाहिजा फार्म मुकेश की चोटों के परीक्षण हेतु तैयार किया गया था, उसमें दो चोट दाहिने पैर की पिडली और गठान में बताई गई हैं, कोष्ठक में पंजे में खरोंच जैसी बताई गई है, किसी पैर की उंगली में चोट का उल्लेख नहीं है, पैर की किसी उंगली में चोट लगना न मुकेश अ0सा0-01 ने बताया है, न अन्य साक्षियों ने बताया है, जबकि वे चोटों का अभिसाक्ष्य में स्पष्ट विवरण दे रहे हैं, ऐसे में पैर की सबसे छोटी उंगली में अस्थिभंजन के संबंध में आई चिकित्सकीय साक्ष्य के बावत प्रत्यक्ष साक्ष्य का सर्वथा अभाव है, ऐसे में घटना के दूसरे दिन का चिकित्सकीय परीक्षण संदेह उत्पन्न करता है, ऐसे में भी चिकित्सकीय साक्ष्य से घटना का समर्थन होने संबंधी विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का निष्कर्ष पुष्टि योग्य नहीं है।

30. जहां तक प्रत्यक्ष साक्ष्य का प्रश्न है, आहत मुकेश अ0सा0-01 ने अपने अभिसाक्ष्य में रूपसिंह के द्वारा दाहिने पैर की पिडली में धारिया मारना बताया है, पानसिंह द्वारा दाएं पैर की गठान में लाठी मारना, मथुरा द्वारा दाहिने कंधे में लाठी मारना बताया है और शिशुपाल द्वारा उसे बचाने पर मथुरा द्वारा शिशुपाल को भी लाठी मारना कहा है, जो बाएं हाथ की कोहनी में लगी थी, मथुरा ने शिशुपाल को दूसरी लाठी बाएं पैर में मारी थी और देशराज हरीसिंह ने आकर बीच बचाव किया था, पैरा-06 में यह स्पष्ट किया है, कि चारों आरोपीगण ने एक साथ मारा था, ऐसा नहीं हुआ कि एक आरोपी ने मारा हो और दूसरा खड़ा रहा हो, बचाव पक्ष की ओर से इस संबंध में न्याय दृष्टांत **अमरसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब ए 0आई0आर0 1987 सुप्रीम कोर्ट पेज 826** पेश किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यक्ष साक्ष्य और चिकित्सकीय साक्ष्य के अंतर को स्पष्ट करते हुए ऐसे साक्षी की अभिसाक्ष्य जो मेडीकल साक्ष्य से समर्थित न हो उसको विश्वास योग्य न माने जाने का मार्गदर्शन दिया है।

31. उक्त न्याय दृष्टांत के मामले में चक्षुदर्शी साक्षी के द्वारा

मृतक के पेट में एवं पसलियों में अनेक धारदार हथियार की चोटें पहुंचाई जाना बताई गई थी, जबकि चिकित्सकीय साक्ष्य में कोई भी कटे घाव की साक्ष्य नहीं थी, ऐसे में चक्षुदर्शी साक्षी विश्वसनीय नहीं माना गया था, विचाराधीन मामले में भी चारों आरोपियों के द्वारा मारपीट बताई गई है, चोटों की संख्या और उनके प्रकार को लेकर प्रत्यक्ष साक्ष्य और मेडीकल साक्ष्य में अंतर है, जिससे बचाव पक्ष के आधार को बल मिलता है, तथा घटना के बाद वे मोटरसाइकिल से थाने जाना बताते हुए सुबह 09:30 बजे रिपोर्ट लिखाना कहते हैं, दिन के 01:45 बजे रिपोर्ट लिखाने से इन्कार करते हैं, चोटें मोटरसाइकिल से गिरने पर आने की संभावना से भी इन्कार करते हैं, जो चोटें उक्त साक्षी ने बताई है, उसी तरह ही चोटें कारित होना शिशुपाल अ0सा0-02 ने अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-01 में बताया है और मोटरसाइकिल से गिरने पर चोटें लगने से वह भी इन्कार करता है और घटना वाले दिन ही रिपोर्ट के बाद अस्पताल मेडीकल के लिए जाना मुकेश तो कहता है, किंतु शिशुपाल इन्कार करता है।

32. हरीसिंह अ0सा0-03 और देशराज अ0सा0-04 घटना के समय अपनी मौके पर उपस्थिति बताते हुए बीच बचाव करना कहते हैं, तथा वे खेत के लिए जाने की बात कहते हैं, हरीसिंह पैरा-03 में घटनास्थल से पचास हाथ की दूरी पर अपनी उपस्थिति बताता है और घटना पांच-सात मिनट तक होना कहता है, वह भी चारों आरोपीगण द्वारा एक साथ मारपीट करना बताते हुए, मुकेश और शिशुपाल की चोटे देखना कहता है, इस संबंध में बचाव पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्याय दृष्टांत **सेवी विरुद्ध स्टेट ऑफ तमिलनाडू ए0आई0आर0 1981 सुप्रीम कोर्ट पैज-1236** पेश किया है, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसे साक्षी को विश्वास योग्य नहीं माने जाने का मार्गदर्शन दिया है, जो प्रत्येक आहत की प्रत्येक चोट के बारे में विवरण देता हो और प्रतिपरीक्षा में सभी का एक साथ मारना बताता हो, क्योंकि ऐसा स्वभाविक रूप से संभव नहीं है, कि कोई व्यक्ति प्रत्येक चोट का पूरा विवरण दे, विचाराधीन मामले में भी दोनों आहतों की प्रत्येक चोट के बारे में साक्षीगण के द्वारा एक ओर तो स्पष्ट विवरण दिया गया है, दूसरी ओर वे सभी के द्वारा एक साथ मारपीट करना भी कह रहे हैं उनकी अभिसाक्ष्य में प्रत्येक महत्वपूर्ण बिन्दु पर विरोधाभास है। उक्त साक्षी घटना के एक दिन पहले के झगड़े की जानकारी होने से इन्कार करता है तथा आरोपीगण कहां से और कैसे आए थे इसकी भी उसे जानकारी नहीं है। देशराज अ0सा0-04 मुख्य परीक्षण में तो अ0सा0-01 लगायत अ0सा0-03 की तरह ही साक्ष्य देते हुए, सभी आरोपीगण का एक साथ मारने के लिए जुट जाना बताता है और आहतगण के साथ घटना के पहले से होना पैरा-04 में बताता है, इस बात से इन्कार करता है, कि वह रास्ते में था, उक्त साक्षी प्र0डी0-02 के पुलिस कथन मुताबिक जब मुकेश और शिशुपाल को चोटें लगी, तब वह और हरीसिंह पहुंचे थे, घटना देखी थी और बीच बचाव किया था, अर्थात् दोनों चक्षुदर्शी साक्षियों की मारपीट होते समय मौके पर पहुंचना बताया गया है, जबकि देशराज

पहले से साथ में होना बताता है, यह भी उसकी हितबद्धता को ही दर्शित करता है, जिससे उसकी स्थिति विश्वसनीय साक्षी की नहीं रह जाती है।

33. इस प्रकार से अ0सा0-01 लगायत अ0सा0-04 के अभिसाक्ष्य से जो विरोधाभास उत्पन्न हुए हैं, उन्हें विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने विरोधाभास की संज्ञा तो दी है, किंतु उन्हें तुच्छ स्वरूप का माना है, किंतु घटनाक्रम को देखते हुए वे तात्विक स्वरूप के हैं, और तात्विक विसंगतियों को देखते हुए, तथा रंजिश के बिन्दु को देखते हुए इस बात की अधिक संभावना नजर आती है, कि अपरोपीगण/अपीलार्थीगण द्वारा घटना कारित न की गई हो, बल्कि दुर्घटनात्मक स्वरूप के चोट उत्पन्न होने पर उनके आधार पर रंजिश के चलते आरोपीगण/अपीलार्थीगण को अभियोजित कराया गया हो, क्योंकि जहां चार व्यक्ति हथियारों से लेश बताए गए हों और उनके द्वारा एक साथ पहले व्यक्ति को मारना बताया गया हो, बचाने पर दूसरे को मारा हो वहां चोटों की संख्या और अधिक होनी चाहिए और चोटों की प्रकृति भी गंभीर संभव है, किंतु जिस प्रकार की साधारण चोटें बताई गई हैं, वहां तक सीमित रह जाना उस स्थिति में स्वभाविक नहीं है, जबकि गंभीर रंजिश विद्यमान लंबे अर्से से हो।

34. यह सही है, कि सामान्य आशय घटनास्थल पर ही निर्मित हो सकता है और घटना के समय प्रत्येक व्यक्ति का सक्रिय रूप से कोई ओवरएक्ट करना धारा-34 भा0द0वि0 के अपराध को आकर्षित करने के लिए आवश्यक नहीं होता है, किंतु बल्लू उर्फ धर्मेन्द्र के बारे में कोई ओवरएक्ट नहीं बताया गया है, वह खाली हाथ था या कोई हथियार लिए था यह भी स्पष्ट नहीं है, यदि उसकी वहां उपस्थिति होती तो वह भी कोई न कोई सक्रिय कृत्य करता यह भी अ0सा0-01 लगायत अ0सा0-04 की स्वभाविक साक्ष्य होना दर्शित नहीं करता है, ऐसे में अ0सा0-01 लगायत अ0सा0-04 के अभिसाक्ष्य में आई गंभीर और तात्विक विसंगतियों को विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने दृष्टि ओझल करते हुए अभियोजन के मामले को संदेह के परे प्रमाणित मानने में निश्चित रूप से गंभीर विधिक भूल की है।

35. जहां तक धारदार हथियार का उल्टी तरफ से उपयोग होने की दशा में गूमडा या खरोंच की चोट आना तो संभव है, लेकिन यह तभी माना जा सकता है, जबकि आहत या साक्षी ऐसी साक्ष्य देते हों कि धारदार हथियार का भौथरी तरफ से उपयोग किया गया था, या धारदार हथियार को मारते समय भौथरी तरफ का भाग लगा हो, जबकि ऐसी साक्ष्य नहीं आई है, ऐसे में अ0सा0-01 लगायत अ0सा0-04 की अभिसाक्ष्य पूर्णतः हितबद्धता और रंजिश पर आधारित होना पाई जाती है, जिससे वे कतई विश्वसनीय साक्षी की श्रेणी में नहीं आते हैं, क्योंकि तात्विक विसंगतियां इस स्वरूप की हैं, कि जो पूरी घटना को ही संदिग्ध बनाती है, जिससे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का दोषसिद्धि का निष्कर्ष दूषित हो जाता है और साक्ष्य व

विधि के अनुरूप नहीं है न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ एम0पी0 विरुद्ध छोटे लाल नामदेव 2009 भाग-02 एम0पी0डब्लू0एन0 शॉर्टनोट 114** में यह प्रतिपादित किया गया है, कि जहां दो दृष्टिकोण संभव हों, जिसमें से एक दोषसिद्धि की ओर जाता हो और दूसरा दोषमुक्ति की ओर जाता हो, तो वहां दोषमुक्ति वाले दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, प्रकरण में उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए दोषमुक्ति का ही दृष्टिकोण अपनाया जाना न्याय संगत पाया जाता है।

36. इस प्रकार प्रस्तुत की गई दाण्डिक अपील में लिए गए आधारों को बल मिलता है और अभियोजन का मामला संदिग्ध हो जाता है। फलतः युक्तियुक्त संदेह के परे अभियोजन का मामला प्रमाणित न होने से दोनों विचारणी बिन्दु आरोपीगण/अपीलार्थीगण के पक्ष में निर्णित कर दाण्डिक अपील स्वीकार करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य निर्णय दिनांकित 28/07/15 को अपास्त किया जाता है, और आरोपी/अपीलार्थी मथुरा को धारा-325 एवं 323 (दो शीर्ष) भा0द0वि0 के अपराध से एवं शेष आरोपीगण/अपीलार्थीगण को धारा-325/34 एवं 323 (दो शीर्ष) भा0द0वि0 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

37. आरोपीगण/अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जमा किया गया अर्थदण्ड दाण्डिक पुनरीक्षण अवधि पश्चात विधिवत वापिस किया जावे, पुनरीक्षण होने की दशा में माननीय पुनरीक्षण न्यायालय के आदेशानुसार निराकरण हो।

38. आरोपीगण/अपीलार्थीगण के अपील में प्रस्तुत जमानत मुचलके भारमुक्त किए जाते हैं।

39. प्रकरण में कोई सम्पत्ति जब्त नहीं है।

दिनांक: 17 नवंबर 2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड